न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :— 59/2015

उनवान प्रकरण

1—मानिकचन्द पुत्र रामेश्वरदयाल आयु करीव 70 साल जाति वैश्य निवासी ग्राम विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर " **दौराने अपील फोत**"

1/1—माधुरीदेवी पत्नी स्व. मानिकचन्द

1/2—प्रदीप गोयल । पुत्रगण स्व. मानिकचन्द

1/3—अजय गोयल । जाति वैश्य

1/4—संजय गोयल । निवासीगण ग्राम विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर

2—उत्तमसिंह पुत्र रामेश्वरदयाल आयु करीव 65 साल जाति वैश्य निवासी ग्राम विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी दत्त वाजार 3/21 आगरा उ0प्र0

3—किशनचन्द आयु करीव 48 साल पुत्र श्री रामेश्वरदयाल जाति वैश्य निवासी हाल पुरानाडाक खाना धौलपुर

4—प्रकाश कुमारी अग्रवाल आयु करीव 68 साल पुत्री रामेश्वरदयाल पत्नी श्री दृजाति वैश्य निवासी खतोलिया साहव का वाडा श्रीराम पैलेस के सामने लाल वाजार ग्वालियर म0प्र0

5—मीना पुत्री रामेश्वर दयाल पत्नी श्री ....आयु करीव 56 साल जाति वैश्य निवासी हाल मानस नगर कोलोनी बोदला रोड आगरा उ0प्र0

6—प्रेमलता आयु करीव 66 साल । पिसरान पदमचन्द जाति वैश्य निवासी

7—धीरज आयु करीव 42 साल । हाल पुराना डाक खाना धौलपुर

.................**अपीलान्टस**

बनाम

1—रामखिलाडी । पिसरान फर्जी पिता का नाम बुद्दा असल पिता का नाम पुरना

2—रतनसिंह । जातिगण जाटव निवासी ग्राम विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर

10—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

..................**रेस्पोडेण्ट**

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 123
दिनांक 12.01.1983 नायव तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्टस की ओर से :— श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट
रेस्पो0सं03 की ओर से :—श्री गोपालनारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक : 20.09.2018

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 36 रकवा 1 वीधा 4 विस्वा जिसका गत खसरा नम्बर 16 रकवा 1 वीधा 8 विस्वा ग्राम सकतपुर तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार अपीलान्टस के पूर्व पुरूष चिरौंजी पुत्र श्रीपति जाति वैश्य रहे उनकी मृत्यु के वाद अपीलान्टस के पिता रामेश्वरदयाल काविज काश्त रहे तथा उनके देहान्त के वाद उक्त समस्त तर्का उत्तराधिकार में प्राप्त किया और आज तक काबिज काश्त है। बुद्वा बल्द हरिफूल जाति चमार निवासी विपरपुर ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में चिरौंजी को सिकमी काश्तकार दर्ज करा लिया व स्वंय को खातेदार काश्तकार दर्ज करा लिया जबकि बुद्वा पुत्र हरिफूल का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बध व सरोकार नहीं रहा है और नहीं कभी काश्त की। उक्त गलत सिकमी के इन्द्रांज की जानकारी अपीलान्टस के पूर्व पुरूष को हुयी तो उन्होने उक्त इन्द्रांज को दुरूस्त कराने तथा विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर धौलपुर के यहां दिनांक 21.7.1971 को दावा प्रस्तुत किया जिसका मुकद्वमा संख्या 248/1971 व उनवानी चिरौजी बनाम बुद्वा जिसको दिनांक 24.7.1971 को निर्णित किया जाकर स्व0 चिरौंजी पुत्र श्रीपति को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया और डिक्री पारित की गई डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में स्व0 चिरोजी के नाम नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में चिरौंजी के दाखिल खारिज का अमल नहीं किया और राजस्व रिकार्ड में बुद्वा का नाम बदस्तूर चलता रहा जबकि चिरौंजी इस बात से आश्वस्त रहा कि उसके राजस्व रिकार्ड में दाखिल खारिज के वाद अमल हो गया होगा। चिरौंजी के हक में हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 24.7.1971 की कोई अपील बुद्वा या उसके वारिसान ने नही की गयी और चिरौंजी एवं उनके वारिसान के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी की और उक्त निर्णय से बुद्वा व उसके वारिसान पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे है। बुद्वा पुत्र हरिफूल का एक मात्र वारिस रामलाल रहा इसके अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। रैस्पोडेन्ट को बुद्वा बल्द हरिफूल से सम्बध व सरोकार नहीं है और नहीं रैस्पोडेन्ट बुद्वा बल्द हरिफूल के परिवारजन है। रैस्पोडेन्ट रामखिलाडी एवं रतनसिंह पूरना के पुत्र है और पूरना के पिता का नाम चुन्नी एवं चुन्नी के पिता का नाम खरगा है। इस प्रकार रैस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर फर्जी तरीके से बुद्वा के वारिस बनते हुये अपने नाम फर्जी रूप से विरासत का नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 12.1.1983 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया है जो अवैध एवं शून्य है जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि विवादित आराजी पर कभी रैस्पोडेन्ट अथवा उनके पूर्व पुरूषों का कोई कब्जा व अधिपत्य नहीं रहा है और नहीं उनका कोई स्वत्व हित निहित रहा है इसके वावजूद भी उनके नाम दाखिला खारिज खोले जाने में नायव तहसीलदार धौलपुर ने भारी कानूनी भूल की है। बुद्वा की मृत्यु के वाद गलत रूप से विरासत का दाखिला रैस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया जबकि रैस्पोडेन्टस बुद्वा के विधिक वारिस

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

नहीं है जबकि बुद्दा बल्द हरिफूल का एक मात्र पुत्र रामलाल है इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। रैस्पोडेन्ट रामखिलाडी एवं रतनसिंह के पिता का नाम पूरना है और इन्हीं नामों से राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 177 सम्बत 2069 से 2072 ग्राम विपरपुर में खातेदार काश्तकार दर्ज जमाबंदी है। न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के निर्णय व डिकी की पालना में अपीलान्टस के पूर्व पुरूष के नाम खोला गया दाखिला के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल करना चाहिऐ था ऐसा ना कर कानूनी भूल की है। नामान्तकरण संख्या 123 बिना किसी आधार के गलत रूप से रैस्पोडेन्टस के नाम फर्जी एवं कूटरचना के आधार पर खोले जाने में भारी कानूनी भूल की है क्योंकि बुद्दा वल्द हरिफूल का विवादित आराजी से कोई सम्बध व सरोकार नहीं रहा है और नहीं कभी काश्त की है इसलिये अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने से ढाई माह पूर्व हुई। इससे पूर्व अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी नहीं रही। अपील जानकारी की तिथि से अन्दर अवधि पेश है फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 12.1.1983 निरस्त किया जाकर अपीलान्टस के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 123, नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 ग्राम विपरपुर, नकल नामान्तकरण फोटोप्रति ग्राम सकतपुर, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2028, नकल जमाबन्दी सम्बत 2034 से 2037 ग्राम सकतपुर, नकल जमाबन्दी सम्बत 2021 से 24 ग्राम सकतपुर, नकल मिसिल बन्दोवस्त सम्बत 2028, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, नकल निर्णय दावा प्रति 24.7.2071 न्यायालय ए. सी.एम. धौलपुर पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगा0 2 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार अपीलान्टस के पूर्व पुरूष चिरौंजी पुत्र श्रीपति जाति वैश्य थे उनकी मृत्यु के वाद अपीलान्टस के पिता रामेश्वरदयाल काविज काश्त रहे तथा उनके देहान्त के वाद उनके वारिस अपीलान्टस आज तक काबिज काश्त है। बुद्दा बल्द हरिफूल जाति चमार निवासी विपरपुर ने विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में चिरौंजी को सिकमी काश्तकार दर्ज करा लिया व स्वंय को खातेदार काश्तकार दर्ज करा लिया जबकि बुद्दा पुत्र हरिफूल का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बध व सरोकार नहीं रहा है और नहीं कभी काश्त की। उक्त गलत सिकमी के इन्द्रांज को दुरूस्त कराने तथा विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर धौलपुर के यहां दिनांक 21.7.1971 को दावा प्रस्तुत किया

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

जिसका मुकद्दमा संख्या 248/1971 व उनवानी चिरौजी बनाम बुद्वा जिसको दिनांक 24.7.1971 को निर्णित किया जिसमें बुद्वा पुत्र हरिफूल ने प्रकरण में राजीनामा दिया तथा स्वंय स्वीकार किया कि मेरा उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा विवादित आराजी पर चिरौंजी का ही कब्जा काश्त रहा है मेरा उक्त आराजी से कोई सम्बध सरोकार नहीं रहा है जिस पर न्यायालय ने स्व0 चिरौंजी पुत्र श्रीपति को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया और डिक्री पारित की गई डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में स्व0 चिरोजी के नाम नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में चिरौंजी के दाखिल खारिज का अमल नहीं किया और राजस्व रिकार्ड में बुद्वा का नाम बदस्तूर चलता रहा। चिरौंजी के हक में हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 24.7.1971 की कोई अपील बुद्वा या उसके वारिसान ने नही की गयी। बुद्वा पुत्र हरिफूल का एक मात्र वारिस रामलाल रहा इसके अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। रैस्पोडेन्ट को बुद्वा बल्द हरिफूल से सम्बध व सरोकार नहीं है और नहीं रैस्पोडेन्ट बुद्वा बल्द हरिफूल के परिवारजन है। रैस्पोडेन्ट रामखिलाडी एवं रतनसिंह पूरना के पुत्र है और पूरना के पिता का नाम चुन्नी एवं चुन्नी के पिता का नाम खरगा है। इस प्रकार रैस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर फर्जी तरीके से बुद्वा के वारिस बनते हुये अपने नाम फर्जी रूप से विरासत का नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 12.1.1983 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया है जो अवैध एवं शून्य है। न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलान्टस के पूर्व पुरूष के नाम खोला गया दाखिला के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल करना चाहिऐ था ऐसा ना कर कानूनी भूल की है। नामान्तकरण संख्या 123 विरासत बिना किसी आधार के गलत रूप से रैस्पोडेन्टस के नाम फर्जी एवं कूटरचना के आधार पर खोले जाने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टस का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। विरासतन नामान्तकरण संख्या 123 खोला गया जो पूर्ण रूप से बैध है। मौके पर रैस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। अपील म्याद वाहर प्रस्तुत की गई है देरी का कोई कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्टस का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार अपीलान्टस के पूर्व पुरुष चिरौंजी पुत्र श्रीपति जाति वैश्य थे उनकी मृत्यु के वाद अपीलान्टस के पिता रामेश्वरदयाल काविज काश्त रहे तथा उनके देहान्त के वाद उनके वारिस अपीलान्टस आज तक काबिज काश्त है। बुद्वा बल्द हरिफूल जाति चमार निवासी विपरपुर ने विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में चिरौंजी को सिकमी काश्तकार दर्ज करा लिया व स्वंय को खातेदार काश्तकार दर्ज करा लिया जबकि बुद्वा पुत्र हरिफूल का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बध व सरोकार नहीं रहा है और नहीं कभी काश्त की। उक्त गलत सिकमी के इन्द्रांज को दुरुस्त कराने तथा विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर धौलपुर के यहां दिनांक 21.7.1971 को दावा प्रस्तुत किया जिसका मुकद्दमा संख्या 248/1971 व उनवानी चिरौजी बनाम बुद्वा जिसको दिनांक 24.7.1971 को निर्णित किया जिसमें बुद्वा पुत्र हरिफूल ने प्रकरण में राजीनामा दिया तथा स्वंय स्वीकार किया कि मेरा उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा विवादित आराजी पर चिरौंजी का ही कब्जा काश्त

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

रहा है मेरा उक्त आराजी से कोई सम्बध सरोकार नहीं रहा है जिस पर न्यायालय ने स्व0 चिरौंजी पुत्र श्रीपति को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया और डिक्री पारित की गई डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में स्व0 चिरोजी के नाम नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में चिरौंजी के दाखिल खारिज का अमल नहीं किया। रैस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर फर्जी तरीके से बुद्वा के वारिस बनते हुये अपने नाम फर्जी रूप से विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 12.1.1983 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया है जो अवैध एवं शून्य है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नकल दावा दिनांक 21.7.1971 न्यायालय सहायक कलेक्टर धौलपुर मुकद्वमा संख्या 248/1971 व उनवानी चिरौंजी बनाम बुद्वा, नकल राजीनामा दिनांक 24.7.1971, नकल निर्णय दिनांक 24.7.1971, का अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर ने अपीलान्टस के पूर्व पुरूष स्व0 चिरौंजी पुत्र श्रीपति को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया और डिक्री पारित की गई। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति नकल नामान्तकरण 227 दिनांक 10.8.72 उक्त निर्णय डिकी की पालना में स्व0 चिरोजीलाल पुत्र श्रीपति के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में चिरौंजी पुत्र श्रीपति के दाखिल खारिज का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ और राजस्व रिकार्ड में बुद्वा पुत्र हरिफूल का नाम बदस्तूर चलता रहा। इस प्रकार रैस्पोडेन्ट के नाम जो अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 12.1.1983 विरासत का खोला गया है वह बिना किसी आधार के खोला गया है क्योकि इस बावत सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना विवादित भूमि से बुद्वा का स्वत्व नहीं होना भी प्रमाणित हुआ है। अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलान्टस के कथनों की पुष्ठि होती है साथ ही उक्त निर्णय व डिकी को 12 साल से अधिक का समय हो चुका है जिसके सम्बध में अपीलान्टस सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या–123 दिनांक 12.1.1983 बांके ग्राम सकतपुर तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है एंव न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के मुकद्वमा संख्या 248/1971 वउनवानी चिरौंजी बनाम बुद्वा निर्णय दिनांक 24.7.1971 में निर्णय/डिकी को 12 साल से अधिक का समय हो चुका है जिसके सम्मबध में अपीलान्टस सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति नायव तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner